(b) Given the international prices prevailing prior to the duty changes made in October 1980, the increase in the customs duty should not have meant a severe hardship to the processing units since, even at the revised level of customs duty the landed cost of imported high density polyethylene would have been less than the ruling price of comparable indigenous material.

(c) In the representation received from concerned interests, it has been stated that the units processing high density polyethylene are about to be closed down; but no confirmation is available in this reagrd.

(d) No Sir.

सरकारी अधिकारियों की पत्नियों के नाम से चल रही बीमा पालिसियां

*500. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में आय-कर, उत्पादन शुल्क, प्रतिरक्षा खरीद आदि विभागों में नियुक्त लगभग एक सौ सरकारी अधिकारियों की पत्नियों के नाम से बीमा पालिसियां चल रही हैं जिनके लिये किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है और उन पर प्रति वर्ष लगभग 50 लाख रुपये का प्रीमियम आता है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगत-भाई बारोट) :

(क) और (ख). सरकार का ध्यान दिनांक 14 सितम्बर, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के अंक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां और संबंधी भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में काम करते हैं । चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम के पास उन सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों और संबंधियों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं हैं जो जीवन बीमा के एजेंट हैं, इस लिए प्रकाशित समाचार में उल्लिखित एजेंटों और प्रीमियम आय के आंकड़ों के आधार का कुछ पता नहीं चल सकता ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यपार अथवा व्यवसाय नहीं करेगा या कोई अन्य नौकरी नहीं करेगा तथा इसके अलावा उक्त नियमों में यह भी व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसी किसी बीमा एजेंसी आदि के कारबार में सहायता के लिये प्रचार करना जो उस की पत्नी या उस के परिवार के किसी अन्य सदस्य की हो या जिसका प्रबन्ध उसकी पत्नी या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के अधीन हो, तो ऐसा करना उपर्युक्त व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना माना जाएगा । आचरण नियमों में यह भी उपेक्षा की गई है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को चाहिए की यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी व्यपार अथवा व्यवसाय में लगा हुआ हो अथवा उसके पास कोई बीमा एजेंसी हो अथवा वह उसका प्रबन्धक हो तो कर्मचारी को इसकी सूचना सरकार को देनी

चाहिए इसके अलावा ऐसे मामलों में कारगर ढंग से कार्रवाई करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस सम्बन्ध में जब तक कि निम्नलिखित दोनों अवस्थाओं में से किसी एक में प्राधिकारियों ने विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी अथवा उसकी पत्नी/उसके पति को, जो भी स्थिति हो, एजेंसी लेने की अनुमति दे दी हो ; ये अनुदेश जारी किए हैं :-

(i) किसी सरकारी कर्मचारी अथवा उसकी पत्नी/उसके पति को कोई बीमा एजेंसी न दी जाए ; और

(ii) यदि ऐसी किसी एजेंसी का पता चले तो उसे समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं ।

जीवन बीमा निगम ऐसी एजेंसियों का पता लगाने पर संबंधित सरकारी विभाग को भी सूचना देगा ताकि कर्मचारी के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई की जा सके ।

यदि सरकार के ध्यान में पद के दुरूपयोग का कोई खास मामला लाया जाएगा तो भारतीय जीवन बीमा निगम और संबंधित विभाग द्वारा उपयुक्त-कार्रवाई की जाएगी ।

Malpractices by Tobacco Growers Co-operative Societies of A.P. and Gujarat State

*501. SHRI DAULAT SINHJI JADEJA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints against malpractices by certain Tobacco Growers' Cooperative Societies in Andhra Praesh and in Gujarat State in connection with purchase of tobacco by State Trading Corporation of India;

(b) the full details of such complaints; and

(c) what action Government have taken against such Cooperative Societies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHED ALAM KHAN): (a) to (c). In 1979 the STC was asked to purchase 5000 MTs. of flue-cured virginia tobacco in agmarked packed condition from the cooperative societies in Andhra Pradesh through Andhra Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd., on Govt. account. Some complaints were received that some of the cooperative societies were not genuine or tobacco offered by some societies was not the genuine tobacco of growers. The STC and Andhra Pradesh MARKFED were asked to ensure that only genuine tobacco of growers from genuine cooperative societies was purchased. No purchases of VFC tobacco by STC were undertaken in Gujarat.

Production of Coarse Cloth in Rajasthan

*502. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any coarse cloth is produced in Rajasthan by textile mills;

(b) if so, the quantity of such production in metres; and

(c) whether Government have received any demand from Rajasthan for enhancing the quota of coarse cloth for the year 1980-81?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Controlled cloth is being produced by textile mills in Rajasthan.

(b) 101.026 lakh sq. metres and 150.540 lakh sq. metres of controlled cloth were produced by the mills in Rajasthan during the year 1979 and 1980 (upto 30th September, 1980) respectively.